

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-23 अप्रैल, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-709/सा.-2/बारह-652/2025-26, दिनांक-04.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-27-छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना, संचालन व संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹0-25000.00 लाख (रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सार्ध प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (2) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित/सत्यापित गोवंश के भरण-पोषण हेतु धनराशि व्यय हो, इससे इतर व्यय किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन एवं धनराशि का अपव्यय होगा। इसके लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
- (3) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन आय-व्ययक में उपलब्ध बजट के दृष्टिगत किया जा रहा है। धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन/हस्तान्तरण जनपदों को नियमानुसार उनके द्वारा प्राप्त मांग के अनुरूप (जैसी स्थिति हो) सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा समय-समय पर प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।
- (6) आवंटित धनराशि से अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना, संचालन व संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण का कार्य कराये जाने एवं उसके अग्रेतर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी की होगी।
- (7) आवंटित धनराशि का उपयोग अधिकतम ₹0-50.00 (रुपये पचास मात्र) प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (9) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग एतद्विषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (11) प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (12) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
 - (13) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
 - (14) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
 - (15) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - (16) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (17) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,00,00,000 (रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403001022700 छुट्टा गोवंश** के रख-रखाव हेतु **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-81/2025/655(1)/सैंतीस-2-2025/001-1(31)/2017, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अध्यक्ष/सचिव, 30प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।